झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
चतुर्दश(शीतकालीन)सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, बुधवार, दिनांक- :- 05 पौष,1940 (श0) / 26दिसम्बर,2018 (ई0) -को

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

कमांक	विभागों को भेजी सं0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधिता विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(01)	शि-01	श्री साधु चरण महतो	मानदेय में वृद्धि	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	19.12.18
(02)	ग-04	श्री अरुप चटर्जी	उच्चस्तरीय जाँच कराना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	19.12.18
(03)	ग-01	श्री अमित कुमार मंडल	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	19.12.18
(04)	ख-01	डा0इरफान अंसारी	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	खान एवं भूतत्व	19.12.18
(05)	शि-03	श्री रबीन्द्रनाथ महतो	चाहरदिवारी का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	19.12.18
(06)	ग-03	श्री फूलचन्द मंडल	दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	19.12.18
(07)	शि-02	श्री फूलचन्द मंडल	स्थानान्तरण करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	19.12.18
(08)	ग-02	श्री दशरथ गागराई	अनुग्रह राशि देना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन	19.12.18
(09)	ख-03	श्री निर्भय कु0शाहाबादी	अवधि विस्तार देना।	खान एवं भूतत्व	19.12.18
(10)	ख-02	डा0इरफान अंसारी	अनुज्ञप्ति रद्ध करना।	खान एवं भूतत्व	19.12.18
(11)	वन-01	श्री भानु प्रताप शाही	किसान की समस्या। को हल करना।	वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	19.12.18

राँची
दिनांकः-26 दिसम्बर,2018(ई0)

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

* गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक - 6858, दिनांक - 21.12.18 द्वारा भवन निर्माण विभाग में स्थानान्तरित।

क0प0३0/-

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–03/15.........3637................./वि0स0,राँची,दिनांकः–...20/12/18..

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष, ,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 20/12/18

(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–03/15..........3637................/वि0स0,राँची,दिनांकः–....20/12/18

प्रतिलिपि :–माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 20/12/18

(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–03/15.......3637................../वि0स0,राँची,दिनांकः–..20/12/18...

प्रतिलिपि :–कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा,झारखण्ड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 20/12/18

(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

चन्द्र/

(01)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री साधुचरण महतो, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-01

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	**डॉ॰ नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश के विद्यालयों में चल रहे मध्याह्न भोजन योजना में रसोईया/संयोजिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, योजना को सफल बनाने हेतु ये शुरूआत से लेकर अब तक निःशुल्क अपनी सेवा संतोषजनक देते आ रहे है, इनकी सेवा को देखते हुए मानवता के आधार पर इनके मानदेय व सेवा नियमित करने की बात के बजाय अक्सर इन्हें शिक्षा समिति एवं विभाग द्वारा विभिन्न कारणों से प्रताड़ित किया जाता है, जो न्यायोचित नहीं है;	वस्तुस्थिति यह है कि मध्याह्न भोजन योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है। संयोजिका तथा रसोईया विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्य होती है जिनका चयन विद्यालय में नामांकित छात्र–छात्राओं के माताओं में से ही किया जाता है। 1. संयोजिका प्रबंधन हेतु स्वैच्छिक रूप से कार्य करती है, जिनके लिए मानदेय का कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है। 2. रसोईया–सह–सहायिकाओं का 1000/- रुपये प्रति माह मानदेय का प्रावधान है। भारत सरकार के नियमों के अनुसार इसका वहन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का 60:40 के अनुपात में करती है। 3. उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 500/- (पाँच सौ रुपये) प्रति माह अतिरिक्त मानदेय भुगतान राज्य योजना मद से किया जाता है। यह अगस्त 2015 से हुए समझौता के क्रम में दिया जा रहा है। इस तरह 1500/-रुपये प्रति माह, 10 माह (कार्य दिवस) के लिए भुगतान किया जाता है।
2.	यदि उक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में रसोईया/संयोजिका के मानदेय में बढ़ोत्तरी/सेवा नियमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में निहित है। सरकार द्वारा समझौता का पालन किया जा रहा है।

अकुसिंह 24/12/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 17/वि 2-10/2018-2027........../ राँची,दिनांक 24/12......2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक वि.स./2018, दिनांक 19.12.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अकुसिंह 24/12/18
सरकार के अवर सचिव

Khursh'c

(02)

श्री अरूप चटर्जी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.12.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–04 की उत्तर सामग्रीः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला के तोरपा के सामाजिक कार्यकर्ता अमित टोपनों की हत्या डोरण्डा, घाघरा रोड के किनारे माह दिसम्बर, 2018 में हुई है;	स्वीकारात्मक। सामाजिक कार्यकर्ता अमित जोसेफ टोपनों, पे0–श्री मार्शलन टोपनो, सा0–निश्चितपुर, थाना–रनिया, जिला–खूँटी की हत्या दिनांक–08.12.2018 के रात्रि डोरण्डा थाना अंतर्गत घाघरा रोड किनारे हुई है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त हत्याकाण्ड में प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने के बाद भी दोषी लोगों पर अबतक कार्रवाई नहीं की गई है;	सामाजिक कार्यकर्ता अमित जोसेफ टोपनों की हत्या के संबंध में डोरण्डा थाना काण्ड संख्या–280/18, दिनांक–09.12.2018 को अज्ञात अपराधकर्मियों के विरूद्ध धारा–302/201 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है। काण्ड का अनुसंधान एक एस0आई0टी0 का गठन कर किया जा रहा है, जिसका पर्यवेक्षण पुलिस उप्–महानिरीक्षक, राँची के द्वारा किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही उच्च स्तरीय जाँच करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ज्ञापांकः–08/वि0स0(04)–18/2018-7021 / राँची, दिनांक–25/12/2018 ई0

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–3572, दिनांक–19.12.2018 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/12/18

सरकार के अपर सचिव।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(07)

डॉ0 इरफान अंसारी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.12.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–01

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

माननीय मंत्रीः–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि जिला खनन पदाधिकारी, जामताड़ा के सहायोग से अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से जिला में चल रहा है;	अवैध खनन के रोकथाम के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सभी जिला में अवैध खनन के रोकथाम के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है तथा टास्क फोर्स द्वारा किए गए कार्रवाई की नियमित समीक्षा की जाती है। जिला खनन पदाधिकारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर पर उपायुक्त, जामताड़ा से खान एवं भूतत्व विभाग का पत्रांक–792 दिनांक–04.12.2018 द्वारा जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई है।
2-	क्या यह बात सही है कि जिला खनन पदाधिकारी का अवैध करोबारियों से संलिप्तता रहने के कारण पहाड़ों का अस्तित्व भी समाप्त हो रहा है;	कंडिका 1 के अनुरूप।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्क है तो क्या सरकार एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर जिला खनन पदाधिकारी, जामताड़ा के कियाकलापों की जॉच कर इनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका 1 एवं 2 के अनुरूप।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः– वि0स0(ता0)–28/18 907 /एम0, राँची, दिनांक– 24.12.18

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 3571 दिनांक 19.12.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.12.18

सरकार के संयुक्त सचिव

05

4828
24/12/2018

श्री रवीन्द्र नाथ महतो, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–03

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के नाला प्रखण्ड अंतर्गत "नाला +2 उच्च विद्यालय" का चाहरदिवारी अत्यंत जर्जर हो चुका है तथा चाहरदिवारी का ऊँचाई भी काफी कम है;	वस्तुस्थिति यह है कि बाउन्ड्रीवाल 3.5 फीट ऊँचाई की है। कतिपय हिस्सा क्षतिग्रस्त है। इसकी मरम्मति, सुदृढ़ीकरण विद्यालय विकास कोष से अध्यक्ष की सहमति से किया जा सकता है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त +2 उच्च विद्यालय की चाहरदिवारी अत्यंत जर्जर एवं ऊँचाई कम रहने से अध्ययनरत छात्र–छात्रा असुरक्षित महसूस करते है;	अस्वीकारात्मक, कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट की गई है।
3	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्कूल की चाहरदिवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वर्तमान में चाहरदिवारी मद में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई राशि स्वीकृत नहीं है। भारत सरकार द्वारा चाहरदिवारी निर्माण के लिए कोई राशि 2012–13 से स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। चाहरदिवारी निर्माण हेतु राशि की व्यवस्था माननीय विधायक/सांसद निधि से अनुरोध कर उनकी सहमति पर उपायुक्त द्वारा कार्य कराया जा सकता है।

24/12/2018
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–97/2018 4828 राँची, दिनांक 24/12/2018

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/12/2018
सरकार के अवर सचिव।

(06)

श्री फूलचन्द मण्डल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.12.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–03 की उत्तर सामग्रीः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के मसलिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम–गुदलिया निवासी लाँस नायक परितोष कुमार के दो वर्षीय पुत्री अपूर्वा की हत्या दिनांक–03 मई, 2015 को हुई थी;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि मसलिया थाना में दर्ज प्राथमिकी सं0–56/15, दिनांक–04.05.2015 में नामजद आरोपियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं किये जाने से क्षुब्ध मृतक बच्ची के परिजन विगत् 03 वर्षों से न्याय के लिए दर–दर भटक रहे हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक यह काण्ड वादी प्रमोद कुमार मण्डल, सा0–गुन्दलिया थाना–मसलिया, जिला दुमका के फर्दबयान के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध अंकित किया गया है। इस काण्ड में अबतक अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित प्राथमिकी सं0 में पुलिस द्वारा गाँव की लड़की मोनिया का चश्मदीद के रूप में बयान लिया गया था, जिसका बयान संचिका से गायब होना पुलिस के कार्यशैली पर संदेह उत्पन्न करता है;	अस्वीकारात्मक इस काण्ड में रफीक की पत्नी एवं उनकी पुत्री मोनिया से पूछताछ कर दोनों का एक साथ बयान अंकित किया गया है जो काण्ड दैनिकी सं0–03, दिनांक–06.05.15 की कंडिका–36 में संधारित है। साथ ही रफीक की पुत्री अफसना प्रवीण उर्फ मोनिया का पुनः बयान अंकित किया गया है, जो काण्ड दैनिकी सं0–25, दिनांक–22.05.17 की कंडिका/पारा 197 पर संधारित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मसलिया थाना प्राथमिकी सं0–56/15, दिनांक–04.05.2015 का जाँच पूर्ण कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	इस काण्ड का अनुसंधान पुलिस उप–महानिरीक्षक, संथाल परगना क्षेत्र, दुमका के पर्यवेक्षण (अनुश्रवण) में एस0आई0टी0 का गठन कर कराने का निर्देश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ज्ञापांकः–08/वि0स0(04)–17/2018–7019/ राँची, दिनांक–25/12/2018ई0

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–3562, दिनांक–19.12.2018 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/12/18

सरकार के अपर सचिव।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री फूलचंद मंडल, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-02

07

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः -	**डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि जिला सरायकेला–खरसावाँ स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तेलाई राजनगर में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत श्रीमती रेखा मंडल के द्वारा दिनांक 27.10.2016 को जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला–खरसावाँ को अपने धनबाद स्थानांतरण के संबंध में पत्राचार किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि श्रीमती रेखा मंडल के प्रति श्री उत्तम कुमार मंडल बी.टी.एम.उ. विद्यालय, मलकेरा,धनबाद में शिक्षक के पद पर कार्यरत है;	स्वीकारात्मक। श्री उत्तम कुमार मंडल की नियुक्ति उच्च विद्यालय के शिक्षक के रूप में वर्ष 2010 में हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद द्वारा सूचना दी गई है। यह राज्यस्तरीय कैडर वर्ष 2010 में था। पुनः नियमावली का गठन किया गया है। माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तकर कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली.2015 के तहत् आच्छादित है। इन्हें अंतर जिला की सुविधा है। यह उपायुक्त, धनबाद को आवेदन कर सकते है। उपायुक्त, धनबाद उसे उपायुक्त सरायकेला को प्रेषित करेंगे तथा उपायुक्त सरायकेला इनका पदस्थापन सरायकेला में कर देगें।
3.	क्या यह बात सही है कि पति–पत्नी सरकारी सेवा में एक ही विभाग में कार्यरत रहने पर एक जिला में पदस्थापित किये जाने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक। पति आसानी से स्थानांतरित होकर पत्नी के पदस्थापन जिला में आ सकते हैं। कंडिका-02 में स्पष्ट है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सरायकेला–खरसावाँ स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तेलाई राजनगर में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत श्रीमती रेखा मंडल का स्थानांतरण धनबाद करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	श्रीमती रेखा मंडल, सहायक शिक्षक के प्रमाण पत्र सत्यापित तथा सेवा संपुष्ट नहीं होने के कारण अंतर जिला स्थानान्तरण पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा विचार नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावा के पत्रांक-489, दिनांक-20.04.2016 एवं पत्रांक-1688, दिनांक-17.12.2018 द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से

Khurshid

		पत्राचार किया गया है। वर्तमान में अंतर जिला स्थानांतरण बिहार राज्य राजकीयकृत प्रारंभिक शिक्षक स्थानांतरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली.1994 के प्रावधान नियम.4 के अधीन किया जाता है। वस्तुस्थिति उक्त कंडिका में स्पष्ट कर दी गई है।

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक ....13/व2-33/2018 – 2028............../ राँची,दिनांक .....24.../..12./...2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3569, दिनांक 19.12.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(08)

श्री दशरथ गागराई, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–26.12.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या--ग–02 की उत्तर सामग्रीः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि 05 दिसम्बर 2018 को पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत सिद्धु कान्हू शिक्षा निकेतन, करंजो के 10 वर्षीय छात्र शुभम महतो की निर्मम हत्या हुई है तथा छात्रावास परिसर में ही उसका शव बरामद हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक दिनांक–01.12.2018 को शुभम महतो सिद्धु कान्हू शिक्षा निकेतन, करंजो के छात्रावास से करीब दिन के 01.00–02.00 बजे कपड़ा साफ करने गए थे, काफी खोजबीन के पश्चात भी नहीं मिलने पर प्रचार–प्रसार किया गया। दिनांक–05.12.2018 को गायत्री सरदार के नवनिर्मित मकान, जो करंजो स्कूल से करीब 500 मीटर दूर है, वहाँ शुभम महतो का शव पाया गया। इस प्रकार शुभम महतो का शव छात्रावास परिसर से बरामद नहीं हुआ है। मृतक के पिता वादी देवेन्द्र महतो के लिखित आवेदन के आधार पर कराईकेला थाना काण्ड संख्या–20/10, दिनांक–05.12.2018 दर्ज कराया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि हत्याकाण्ड के आरोपियों को पुलिस ने अबतक गिरफ्तार नहीं किया है और ना ही परिजनों को अनुग्रह अनुदान की राशि दी गई है;	स्वीकारात्मक उक्त काण्ड में सिद्धु कान्हू शिक्षा निकेतन, करंजो के 1. प्राचार्य अनुपम महतो, 2. प्रोजेक्ट मैनेजर अर्जुन शर्मा, 3. सचिव आदित्य महतो एवं 4. छात्रावास प्रभारी गोपीचन्द सामड़ के विरूद्ध काण्ड दर्ज कर काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधान की जा रही है। प्राथमिकी अभियुक्तों के अतिरिक्त संदेही अभियुक्तों से भी विभिन्न पहलुओं पर पूछ–ताछ की जा रही है। काण्ड के उद्भेदन हेतु अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, चक्रधरपुर के नेतृत्व में एस०आई०टी० का गठन किया गया है। इस संबंध में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची (FSL), अपराध अनुसंधान विभाग, जमशेदपुर (CID), तकनीकी शाखा चाईबासा के अतिरिक्त जमशेदपुर तकनीकी शाखा भी काण्ड के उद्भेदन हेतु ठोस कार्रवाई कर रहे हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शुभम महतो के हत्यारों को गिरफ्तार करते हुए परिजनों को अनुग्रह अनुदान देने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	अनुसंधानोपरांत प्राप्त तथ्यों के आलोक में अनुग्रह अनुदान के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ज्ञापांकः–08/वि0स0(04)–16/2018 7020 / राँची, दिनांक–25/12/2018ई0

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–3563, दिनांक–19.12.2018 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/12/18

सरकार के अपर सचिव।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(9)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.12.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–03

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें किः– माननीय मंत्रीः–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिला के धनवार अंचल अन्तर्गत परसन पंचायत के मौजा झारखण्ड घाट प्लॉट नं0–759 अंश इरगा नदी रकवा 10 एकड़ क्षेत्र श्री प्रदीप कुमार पिता– श्री मोहन केवट, ग्राम–जामताड़ा पो0–डुमरी, जिला–गिरिडीह के नाम बालूघाट की बंदोबस्ती दिनांक– 01.04.2015 से तीन वित्तीय वर्षों के लिए की गई थी;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि वर्णित घाट को बन्दोबस्तीधारी को दिनांक– 01.04.2018 से 10.12.2018 तक अवधि विस्तार हेतु संबंधित संचिका पर संबंधित पदाधिकारियों द्वारा संतोषजनक टिप्पणी किए जाने के बावजूद अपर समाहर्ता, गिरिडीह द्वारा उक्त घाट से अवैध उत्खनन कराने के उद्देश्य से उक्त संचिका को जान–बुझकर निजी स्वार्थ में अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित नहीं की गई जिससे उक्त बन्दोबस्तीधारी को अवधि विस्तार नहीं मिली जिस कारण सरकार को लाखों रूपये राजस्व की हानी हो रही है;	जिला प्रशासन द्वारा जाँच करायी जा रही है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संबंधित पदाधिकारी पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उक्त बन्दोबस्तीधारी को पुनः अवधि विस्तार देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका 2 के उत्तर के अनुरूप ।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः– वि0स0(ता0)–27 / 18 906 / एम0, राँची, दिनांक– 24.12.18

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 3573 दिनांक 19.12.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.12.18
सरकार के संयुक्त सचिव

(10)

डॉ0 इरफान अंसारी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.12.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–02

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें किः– माननीय मंत्रीः–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि जामताड़ा जिलान्तर्गत बगरूडीह में 'जय माता दी स्टोन' द्वारा अवैध कारोबारियों से मिलकर अवैध खनन कराया जा रहा है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव एवं ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	उत्तर अस्वीकारात्मक। मौजा बगरूडीह में जय माता दी स्टोन पत्थर भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त है, जिसे झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (J.S.P.C.B.) से CTE एवं CTO प्राप्त है एवं अंचलाधिकारी नारायणपुर एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी से अनापत्ति प्राप्त है। भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियमानुसार पट्टेधारियों से पत्थर खरीद कर कार्यालय से online प्रीपेड खनिज परिवहन चालान प्राप्त कर ही खनिज का प्रेषण किया जाता है। इनके द्वारा किसी तरह का अवैध खनन करने की सूचना पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव एवं ग्रामीणों को परेशानियों से संबंधित कोई भी शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं है।
2-	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्क है तो क्या सरकार अवैध खनन कराने वाले "जय माता दी स्टोन" कंपनी की अनुज्ञप्ति रद्द करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 के उत्तर के अनुरूप।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः– वि0स0(ता0)–29/18 905 /एम0, राँची, दिनांक– 24.12.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 3570 दिनांक 19.12.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.12.18

सरकार के संयुक्त सचिव

(111)

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.12.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–01 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा के 6–7 प्रखण्डों में जंगली जानवरों द्वारा फसल को नष्ट करने से किसान अत्यधिक परेशान होकर खेती करना छोड़ रहे है ;	वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 (19.12.2018 तक) में गढ़वा जिला में नील गाय एवं अन्य जंगली जानवरों द्वारा फसलों की क्षति के क्रमशः 100 एवं 56 मामले प्रतिवेदित हुए है।
(2) क्या यह बात सही है कि फसल के नष्ट हो जाने से किसानों के बीच काफी असंतोष है ;	वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल में नील गाय एवं जंगली जानवरों द्वारा किये गये फसल की क्षति के दावों के विरूद्व क्षतिपूर्ति हेतु क्रमशः रू0 6.60 लाख तथा रू0 3.60 लाख मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है। किसानों द्वारा खेती छोड़े जाने एवं किसानों के बीच असंतोष होने के संबंध में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची ने प्रतिवेदित किया है कि इस प्रकार की कोई सूचना नही है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जंगली जानवरों (निल गाय) को भगाने के लिए कोई पहल करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रभावित ग्रामीणों को नीलगायों से बचाव हेतु पटाखा, आदि का उपयोग किया जाता है। साथ स्थानीय ग्रामीणों को नीलगायों द्वारा फसल की जा रही क्षति को कम करने हेतु जागरूक करने की कार्रवाई की गई है। जंगली जानवरों (नील गाय) को भगाने के लिए ग्रामीणों को पारम्परिक उपायों यथा खेतों में पुराने विडियो एवं ओडियो टेप लगाना, स्केयर–क्रो खड़ा करना, कुत्तो के साथ खेत की रखवाली, इत्यादि का उपयोग करने की जानकारी दी जा रही है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–89 / 2018– 5137 व0प0, राँची, दिनांक– 25/12/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–3574 दिनांक–19.12.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/12/18
(देव कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव